

23.3 बीमा शाखा (बीमा एवं छात्रवृत्ति संबंधी योजनाएँ) :-

23.3.1 तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु बीमा योजनायें :-

(I) **शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना** :- प्रदेश के लगभग 12.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ (मर्यादित) के समन्वय से यह योजना दिनांक 05.08.2020 से संचालित की गई है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से कम किन्तु 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु. 2.00 लाख की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रु. 4.00 लाख प्रदाय की जाएगी। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में राशि रु. 2.00 लाख तथा आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में राशि रु. 1.00 लाख की सहायता अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रु. 30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर रु. 75,000/- की सहायता अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी। दुर्घटना में पूर्ण निःशक्त्ता की स्थिति में रु. 75,000/- तथा आंशिक निःशक्त्ता की स्थिति में रु. 37,500/- की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदाय की जायेगी।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक राशि में से 50 प्रतिशत की राशि छ.ग. शासन, वन विभाग द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित द्वारा वहन की जा रही है।

समस्त जिला यूनियनों के तेन्दूपत्ता संग्राहक मुखिया को योजना प्रारंभ तिथि से माह दिसंबर- 2022 तक की स्थिति में कुल 4692 प्रकरण में राशि रु. 71,02,55,000/- का भुगतान किया गया है।

(ii) **सामूहिक सुरक्षा योजना (संघ द्वारा संचालित)** :- वर्ष 2020-21 हेतु सामूहिक सुरक्षा योजना का संचालन छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत मृतक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार की सदस्यों के मृत्यु होने पर मुखिया (दावेदार) को रुपये 12,000/- भुगतान किया जाता है। समस्त जिला यूनियनों के तेन्दूपत्ता संग्राहक सदस्यों को योजना प्रारंभ तिथि से माह दिसंबर-2022 तक की स्थिति में कुल 4154 प्रकरणों में राशि रु. 4,98,48,000/- का भुगतान किया गया है।

23.3.2 संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं :-

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं जैसे मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार, प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति, व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति, गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना लागू है। यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा लागू की गई है।

- (i) **मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु :-** मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार के तहत प्रत्येक प्राथमिक वनोपज समिति क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 2500/- तथा कक्षा 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 3000/- पुरस्कार राशि दी जाती है। यह पुरस्कार समिति क्षेत्र के अंतर्गत एक छात्र तथा एक छात्रा को प्रदान की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में मेधावी छात्रवृत्ति अंतर्गत कक्षा के 10वीं के 1436 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 35,90,000/- एवं कक्षा 12वीं के 1307 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 39,21,000/- कुल 2743 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 75,11,000/- का छात्रवृत्ति वितरण किया गया है।
- (ii) **प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं हेतु :-** तेंदूपत्ता संग्राहकों के प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चों जिन्होंने 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उनको कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 15,000/- तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रु. 25,000/- शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में प्रतिभाशाली छात्रवृत्ति अंतर्गत कक्षा 10वीं के 3321 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 4,98,15,000/- एवं कक्षा 12वीं के 1192 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 2,98,00,000/- कुल 4513 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 7,96,15,000/- का छात्रवृत्ति वितरण किया गया है।
- (iii) **व्यावसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यावसायिक कोर्स जैसे-इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षों में रूपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षों तक राशि रूपये 25,000/- की छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में व्यावसायिक कोर्स छात्रवृत्ति हेतु 250 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 20,65,000/- का छात्रवृत्ति वितरण किया गया है।
- बस्तर क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिए यह योजना वर्ष 2015-16 से लागू है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरान्त बी.एस.सी.नर्सिंग में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/- एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षों में रूपये 5,000/- प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षों तक राशि रूपये 25,000/- उपलब्ध करायी जाती है।
- (iv) **गैर-व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना :-** प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा जिसने किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर-व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी. आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो को कोर्स के प्रथम वर्ष में रु. 5,000/- द्वितीय वर्ष में रु. 4,000/- एवं तृतीय वर्ष में रु. 3000/- अर्थात् तीन वर्षों में कुल रु. 12,000/- की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2021-22 में गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स हेतु प्रवेश प्राप्त 1477 छात्र/छात्राओं को राशि रु. 66,52,000/- का छात्रवृत्ति वितरण किया गया है।

23.3.3 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा :-

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 से बीमा कराया गया है। वर्ष 2022-23 में बीमित प्रबंधकों की संख्या 783 है। बीमा की राशि रु. 1,00,000.00 है। 05 समिति प्रबंधकों का बीमा क्लेम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान हेतु प्रेषित किया गया है, जिसमें से 02 प्रबंधकों का बीमा क्लेम प्राप्त हुआ है।

23.3.4 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के फंडमुंशियों का समूह बीमा :-

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के तेंदूपत्ता फंडमुंशियों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए बीमा कराया गया है। वर्ष 2022-23 में बीमित फंडमुंशियों की संख्या 9978 है। बीमा की राशि रु. 1,00,000.00 है। जिला यूनियनों से फंडमुंशियों का बीमा दावा प्रकरण भारतीय जीवन बीमा निगम, रायपुर को सीधे प्रेषित किया जाता है एवं भुगतान सीधे दावेदार के खाते में की जाती है।

23.4 तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण :-

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्रति वर्ष शासन के निर्देशानुसार वितरित की जाती है। वर्ष 2020 के तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि रूपये 34.21 करोड़ (समारोह व्यय घटाकर) का वितरण किया जाना है, जिसमें से राशि रूपये 33.40 करोड़ का वितरण संग्राहकों को किया जा चुका है। राशि का वितरण संग्राहकों के खातों में सीधे संघ मुख्यालय से किया गया है। विवरण तालिका 4 में दिया गया है :-

क्र.	जि.यू. का नाम	वितरण योग्य राशि (रु. में)	वितरित राशि (रु. में)
1	2	3	4
1	बीजापुर	92,24,008 ^ए .00	90,99,502.00
2	सुकमा	3,98,99,997.00	3,98,99,997.00
3	दंतेवाड़ा	—	—
4	जगदलपुर	7,07,592.00	7,07,592.00
5	दक्षिण कोण्डागांव	—	—
6	केशकाल	4,32,246.00	4,21,208.00
7	नारायणपुर	—	—
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	4,29,02,445.00	4,10,08,233.00
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	1,36,85,372.00	1,36,48,527.00
10	कांकेर	1,57,23,981.00	1,55,58,253.00
11	राजनांदगांव	2,46,20,303.00	2,46,0,050.00
12	खैरागढ़	34,87,530.00	3,8,530.00
13	बालोद	32,04,539.00	31,80,453.00

क्र.	जि.यू. का नाम	वितरण योग्य राशि (रू. में)	वितरित राशि (रू. में)
1	2	3	4
14	कवर्धा	17,204.00	1,204.00
15	धमतरी	66,66,155.00	66,66,155.00
16	गरियाबंद	4,24,13,354.00	4,24,13,35.00
17	महासमुन्द	1,72,30,351.00	1,72,30,351.00
18	बलौदाबाजार	50,61,172.00	50,61,172.00
19	बिलासपुर	12,96,554.00	12,45,678.00
20	मरवाही	34,58,277.00	31,08,028.00
21	जांजगीर-चांपा	58,843.00	58,843.00
22	रायगढ़	54,61,106.00	54,10,493.00
23	धरमजयगढ़	4,12,49,457.00	4,12,49,457.00
24	कोरबा	2,84,37,741.00	2,84,37,741.00
25	कटघोरा	2,63,38,127.00	2,11,61,060.00
26	जशपुरनगर	63,273.00	52,218.00
27	मनेन्द्रगढ़	9,58,837.00	9,58,83.00
28	कोरिया	35,78,674.00	33,92,931.00
29	सरगुजा	2,38,428.00	28,42,370.00
30	बलरामपुर	—	—
31	सूरजपुर	3,83,768.00	30,83,768.00
	योग	34,21,99,334.00	33,40,08,005.00

* शेष राशि के वितरण की कार्यवाही प्रचलित है।

23.5 अकाष्टीय वनोपज विकास- वर्ष 2021-22 में कार्यों की प्रगति :-

23.5.1 लघु वनोपज संग्रहण :

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना :-

लघु वनोपज संग्रहण :- भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 38 लघु वनोपज एवं राज्य स्तर पर 27 लघु वनोपज हेतु समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए कुल 65 लघु वनोपज का क्रय प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। क्रय किये जाने वाले लघु वनोपज सूची में कोदो, कुटकी, रागी, आमचूर एवं कोसा ककुन जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों को सम्मिलित किया गया।